191

संख्या– — /XVIII(1)/2016-01/2005

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 07 नवम्बर, 2016

विषयः– जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील बाजपुर के तहसील भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2683/पांच–रा0प0/2016 दिनांक 20 अगस्त, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील बाजपुर के अनावासीय भवन की चाहरदीवारी एवं सी0सी0 इन्टरलॉकिंग ब्लॉक द्वारा आन्तरिक मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर द्वारा गठित एवं अनुमोदित आंगणन ₹ 35.89 लाख के नवीन निर्माण कार्य पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु ₹ 35.89 लाख **(₹ पैतीस लाख, नवासी हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
3. निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय तदोपरान्त उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
6. आगणन की तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति तथा आंगणन में ली गई मात्राओं विशिष्टियों डिजायन आदि के लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
7. निर्माण कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित एवं सघन समीक्षा/अनुश्रवण किया जाय। व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति की आख्या प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
8. प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कराया जाय, यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।

2–

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
10. आगणन में नॉन शैड्यूल की मद में धनराशि व्यय करते समय Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।
12. धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 से पूर्व किया जाय, तदोपरान्त अवशेष अप्रयुक्त धनराशि समर्पित की जाय।
13. प्रश्नगत धनराशि का नियमानुसार एवं वास्तवित व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–167P/XXVII(5)/2016 दिनांक 28 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–1509/XVIII(1)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
अपर सचिव